



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 272]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 28, 2010/कार्तिक 6, 1932

No. 272]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 28, 2010/KARTIKA 6, 1932

भारतीय दंत्य परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2010

ए. ई.-137/2007/ए-7478.—दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 8(1)(घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दंत्य परिषद् केन्द्र सरकार की पूर्व-स्वीकृति के साथ एतद्द्वारा भारतीय दंत्य परिषद् में सचिव के पद पर भर्ती की विधि को विनियमित करते हुए नियम बनाती है :—

1. संक्षिप्त शीर्षक.—(1) इन नियमों को भारतीय दंत्य परिषद् (सचिव) भर्ती नियमावली, 2010 के नाम से जाना जाएगा।
(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. पद की संख्या और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या और उसका वेतनमान इन नियमों के साथ अनुलग्न की गई अनुसूची के कालम (2) और (3) में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा योग्यता इत्यादि.—उक्त पद से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता तथा अन्य मामले इन नियमों के साथ अनुलग्न की गई अनुसूची के कालम (4) से (12) तक में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
4. अनहर्ता.—ऐसा कोई भी व्यक्ति,—
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है अथवा विवाह का अनुबंध किया है जिसका पति अथवा पत्नी जीवित है, अथवा
(ख) जिसने पत्नी अथवा पति के जीवित रहते हुए भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है अथवा विवाह का अनुबंध किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

भारतीय दंत्य परिषद् किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रचालन से छूट दे सकती है बशर्ते कि वह इस बात के लिए संतुष्ट हो कि इस प्रकार का विवाह किसी व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अंतर्गत अनुमत्य है और यह कि ऐसा करने के अन्य आधार हैं।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां पर भारतीय दंत्य परिषद् का यह विचार हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है यह आदेश द्वारा, कारणों जिन्हें लिखित में दर्ज किया जाना है और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से किसी वर्ग अथवा श्रेणी के संबंध में इन नियमों के हिन्हीं प्रावधानों में छूट दे सकती है।

6. बचत.—इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सेवानिवृत्त कर्मचारी और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटें जोकि उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार प्रदान की जानी हैं, को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	संगत ग्रेड पे सहित पे बैंड	चयन अथवा अचयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन, नियम-वली) 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के बड़े हुए वर्षों का लाभ लागू है	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सचिव	1 (एक)	पीबी-3 15600-39100 तथा 7600 रु. ग्रेड पे+एनपीए	लागू नहीं	लागू नहीं	45 वर्ष से कम, सरकारी कर्म-चारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय	शैक्षणिक अर्हता : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एमडीएस डिग्री अनुभव : दंत्य चिकित्सा के क्षेत्र में कुल दस वर्ष का अनुभव जिसमें से एमडीएस डिग्री के पश्चात् किसी दंत्य महाविद्यालय में 8 वर्ष का शिक्षण का अनुभव हो और किसी दंत्य महा-विद्यालय/संस्थान में प्रोफेसर के रूप में शिक्षण का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव हो।

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	2 वर्ष (सीधी भर्ती के मामले में)	अल्पकालिक अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/अल्पकालिक अनुबंध/पूर्व-नियोजन द्वारा भर्ती की जानी है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति विद्यमान है तो इसका संघटन
(11)	(12)

(i) प्रतिनियुक्ति :

(i) केन्द्र सरकार/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों में से और जो नियमित आधार पर सदृश पद धारक हों अथवा (ii) जिन्होंने 8000-13500 रुपए के वेतनमान में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो अथवा 10000-325-15200 रुपए के वेतनमान में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो, कालम 7 में निर्धारित किए गए अनुसार शैक्षणिक अर्हता रखते हों।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि इसी अथवा किसी अन्य संगठन/केन्द्र सरकार के विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए)।

(ii) अल्पकालिक अनुबंध :

सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों में से जिनके पास उच्च एकेडमिक विशिष्टताएं और व्यावसायिक उपलब्धियां हों तथा कालम 7 में निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं हों। अल्पकालिक अनुबंध के लिए आयु-सीमा समय-समय पर जारी सरकारी अनुदेशों के अनुरूप होगी।

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष-चेयरमैन दो परिषद सदस्य। सदस्यों को परिषद की कार्यकारी समिति द्वारा नामित किया जाना है।

डॉ. पी.एन. अवस्थी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त), सचिव
[सं. विज्ञापन-III/4/98/10-असा.]

DENTAL COUNCIL OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th October, 2010

AE-137/2007/A-7478.—In exercise of the powers conferred by Section 8(1)(d) of the Dentist Act, 1948, the Dental Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes rules, regulating the method of recruitment to the post of Secretary in the Dental Council of India, namely :—

1. Short title.—(1) These rules may be called the Dental Council of India (Secretary) Recruitment Rules, 2010 :

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. Number of post and scale of pay.—The number of said post and the scale of pay thereto shall be specified in col. (2) and (3) of the schedule annexed with these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.—The method of the recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall as specified in col. (4) to (12) of the schedule annexed with these rules.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Dental Council of India may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rules.

5. Power to relax.—Where the Dental Council of India is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Pay Band with corresponding Grade Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other Qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Secretary	1 (one)	P.B.-3 Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 7600+NPA	Not applicable	Not applicable	Less than 45 years. Relaxable for government servants up to	Educational Qualification: MDS Degree of a recognised University. Experience : A total of ten years experience in the professional of Dentistry out of which is 8 years teaching experience in a dental college after MDS degree and at least 2 years experience as Professor in any Department in a Dental College/Institute.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotee	Period of probation, if any	Method of Rectt. : Whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	2 years (in case of direct recruitment)	Deputation including short-term contract failing which by direct recruitment.
Grade from which recruitment by promotion/deputation/transfer/short-term contract/pre-employment is to be made	If a DPC/Selecton Committee exists, what is its composition	
(11)	(12)	
<p>(i) Deputation : From amongst Officers of the Central Government Universities/PSUs/Autonomous Organization and (i) holding analogous Posts on regular basis or (ii) with 8 years regular service in the scale of Rs. 8000-13500 or with 3 years regular service in the scale of Rs. 10000-325-15200, possessing educational qualification as prescribed in col. (7) .</p> <p>(The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt application).</p> <p>(ii) Short-term Contract</p> <p>From amongst the retired government officers having high academic distinction and professional attainments and possessing prescribed educational qualification in col. (7) . The age limit for short-term contract is as per the government instructions issued from time to time.</p>	<p>President/Vice President—Chairman Two Council members, members to be nominated by the Executive Committee of the Council</p>	

Dr. P.N. AWASTHI, MAJ. GEN. (Retd.), Secy.

[No. Advt. III/4/98/10-Exty.]